संख्याः / /2011

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक,
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2011

महोदय,

शासन की जानकारी में आया है कि कतिपय उप निदेशकों के निरीक्षण में जहां गम्भीर अनियमिततायें/कमियां विभागीय कार्यों में परिलक्षित होती है, उसकी रिपोर्ट सीधे संबंधित आयुक्त एवं प्रशासक को भेज दी जाती है, परन्तु शासन को उसकी प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है, जबकि ऐसे प्रकरणों में कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध शासन स्तर से कार्यवाही की जानी वांछित रहती है। इस प्रकार प्रकरण में बिना समुचित कारण के विलम्ब होता है तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी को स्वेच्छताचारिता का मौका मिलता है।

कृपया उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप निदेशकों द्वारा किसी भी इकाई में गम्भीर अनियमिता/कमियां किसी कार्य में पायी गयी तो उसकी अविलम्ब सूचना शासन को उपलब्ध कराते हुए संबंधित आयुक्त एवं प्रशासक को भी सूचित किया जाये, ताकि प्रकरण में समय रहते अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

कृपया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1170(1)/54-1-11/2011, तददिनांक

प्रतिलिपिः– आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, लखनऊ/कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

60/DS
25-11-11